

(1) अपील संख्या 2016/00305 (05/2016) 223 आरटीएक्ट

रामनारायण पुत्र रूप राम मौजूदार पि0 मु0 बिस्तीराम जाति जाट निवासी पक्कासारणा  
तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी पक्कासारनान् तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. उप पंजियक हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसील (राजस्व) हनुमानगढ़

—रेस्पोंडेण्ट

(1) अपील संख्या 2016/00036 (22/2016) 223 आरटीएक्ट

1. तारादेवी पुत्री रामनारायण पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी चाहिलावाली
2. इन्द्रा देवी पुत्री रामनारायण पत्नी वेदप्रकाश 31 एनलडआर त0क जि0 हनुमानगढ़

—अपीलाण्ट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी पक्कासारनान् तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. उप पंजियक हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसील (राजस्व) हनुमानगढ़
4. रामनारायण पुत्र श्री रूपराम पि0 मु0 बिस्तीराम जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोंडेण्ट्स

—तरतीबी रेस्पोंडेण्ट

सत्यमेव जयते

विरुद्ध आदेश दिनांक 28.03.2016 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़  
प्रकरण संख्या 127/2013 बअनवानी भागीरथ बनाम रामनारायण

उपस्थित:-

श्री देवीलाल भाम्बू, श्री राजेश रोकणा अधिवक्ता अपीलाण्ट  
श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट  
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय


दिनांक:- 15.04.2019

1. सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खाता तकसीम, इस्तकरार हक, और स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वादपत्र में प्रश्नगत भूमि को पैतृक भूमि बताते हुए उसमें अपना पैदायशी हक हिस्सा बताते हुए उसकी घोषणात्मक आज्ञा देने, खाता

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़ (राज.)


तकसीम करने, वादी के कब्जा काश्त भूमि में रकमराज अलग किया जाकर राजस्व कागजात माल में अमल दरामद फरमाने, एवं प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीलें दोनों अपीलाण्ट्स ने अलग अलग प्रस्तुत की है। दोनों अपीलें एक ही आदेश के विरुद्ध होने एवं समान पक्षकारों के मध्य एक ही भूमि के संदर्भ में होने के कारण दोनों पत्रावलियों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. दोनों अपील के अपीलाण्ट रामनारायण, तारादेवी, उमादेवी के अधिवक्तागण ने अपनी संयुक्त बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोजेण्ट सं. 1 ने विभाजन व घोषणा का दावा पेश किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया। वाद में कथन किया था कि चक नं. 3 यूटीएस के दो खातों की कुली 28 बीघा भूमि संयुक्त खाते की भूमि है जिसमें से भागीरथ ने अधीनस्थ न्यायालय में बताया कि प. नं. 55/213 की 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि उसके कब्जे में है, जबकि रानामायण ने 4 पुत्रियों, 3 पुत्र 1 पत्नि 1 स्वयं इस प्रकार कुल 9 हिस्सों में भूमि का विभाजन होगा इस भूमि में भागीरथ 1/9 हिस्सा था। अधीनस्थ न्यायालय ने पुत्रियों का हिस्सा नहीं माना तथा पुत्र का 2 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि की डिक्री कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की जानी चाहिए थी। डिक्री जारी करने से पूर्व कोई भी विभाजन प्रस्ताव नहीं भगवाया गया। ग्रहणगत भूमि पैतृक भूमि है और अपीलार्थीयण तारादेवी एवं उमादेवी का पुत्री होने के कारण उस भूमि में हक व हिस्सा है। उनका जन्म से हक व हिस्सा होने के कारण वे प्रभावित पक्षकार हैं। उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रामनारायण के नाम दर्ज चक 3 यूटीएस में 4.643 है भूमि अपने पिता बस्ती राम से प्राप्त हुई है। उसके अलावा 6 बीघा भूमि रामनारायण को आवंटित हुई उसकी तमाम किश्ते पैतृक सम्पत्ति की आय से भरी हुई है। घराघरू बंटवारा में मु. नं. 44 की 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि भागीरथ को दे दी गई है। उसी अनुसार घोषणा का दावा डिक्री हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा दस्तावेज और प्लीडिंग के आधार पर डिक्री हुआ है। जो तनकी बनाई उनको साबित करने करने के आधार पर डिक्री हुआ है। जहां घराघरू बंटवारा के आधार पर घोषणा कर डिक्री किया जावे तो प्राथमिक डिक्री जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलाण्ट ने अपील में जो मुद्दे उठाये हैं वे अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलार्थीगण निरस्त की जावे।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
इनुमानगढ़ (राज.)

6. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. बहस में आये तथ्यों, पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं धारा 96 सीपीसी में उठाये गये बिन्दुओं पर विचार करते हुए चूंकि प्रश्नगत भूमि में पैतृक भूमि भी है एवं पैतृक भूमि में सभी वारिसान का जन्म से हक व अधिकार होता है। अपीलार्थीया तारादेवी व इन्द्रादेवी रामनारायण की पुत्रियाँ हैं। जिनका उक्त भूमि में हक व हिस्सा है। अतः अपील संख्या 2016/00036 (22/20016) तारादेवी बनाम भागीरथ में प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने प्रश्नगत भूमि को पैतृक भूमि बताकर दावा पेश किया है, जिसे प्रतिवादी ने अस्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय में रामनारायण के अन्य 3 पुत्र 4 पुत्रियाँ, पत्नी होने का तथ्य पत्रावली पर आया है फिर भी अन्य वारिसान को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिए बिना दावा डिक्री किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अपील में भूमि रामनारायण को आवंटित होने का कथन भी आया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई और साक्ष्य ली जाकर किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाने योग्य है कि वाद में सभी वारिसान को पक्षकार बनाते हुए सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण के सभी विवाद बिन्दू गुणावगुण के आधार पर निर्धारित करते हुए पुनः निर्णय पारित करे।
9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं एवं सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में सभी वारिसान को पक्षकार बनाते हुए, सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण के सभी विवाद बिन्दू गुणावगुण के आधार पर निर्धारित करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2019 को उपस्थित हों। दोनों अपील की पत्रावलियों में निर्णय की पृथक-पृथक प्रति रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(मूल न्यायालय पर्यकोर)  
राजस्थान के न्यायाधीश  
हनुमानगढ़